NDPS ACT, 1985

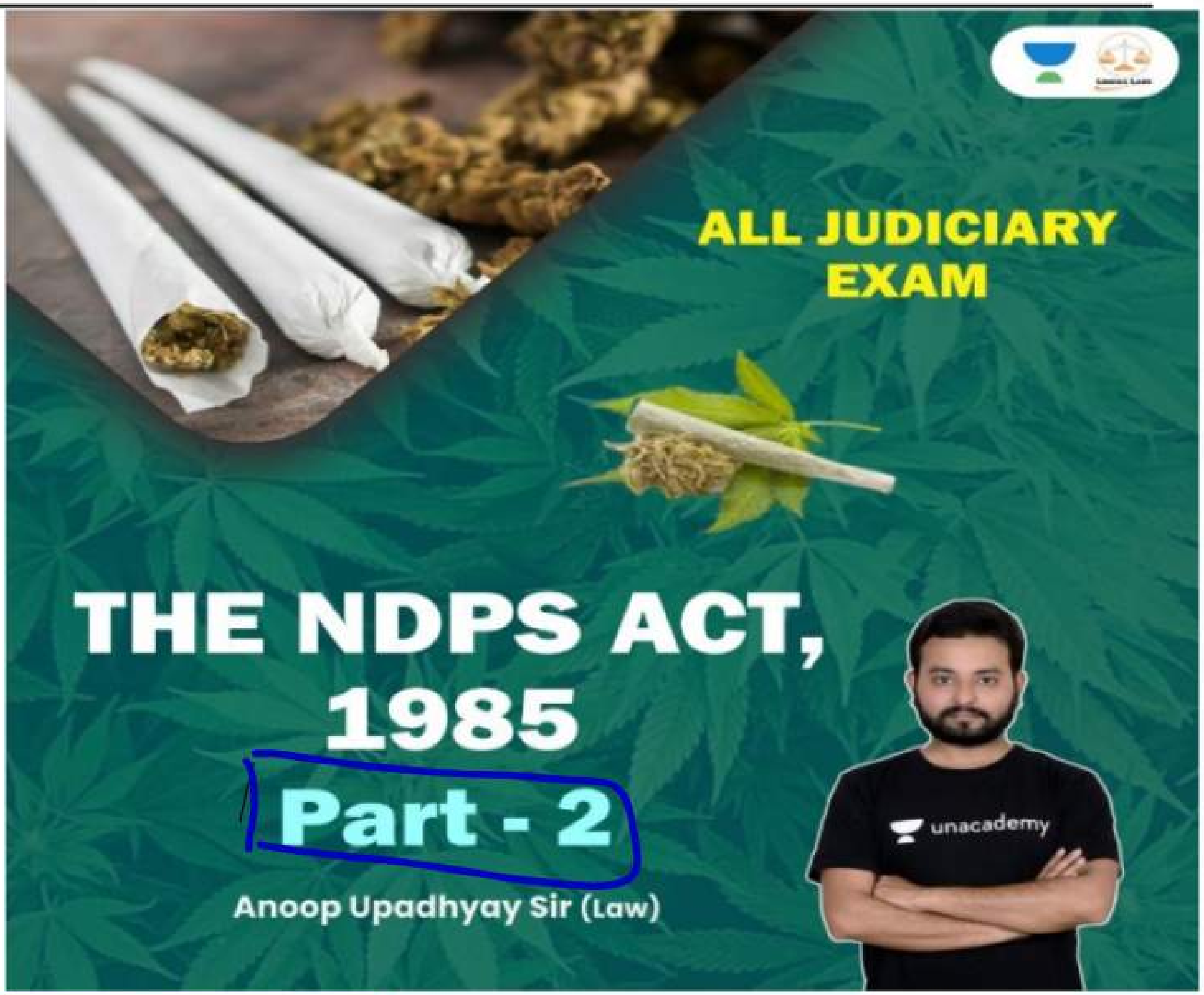

NDPS ACT, 1985

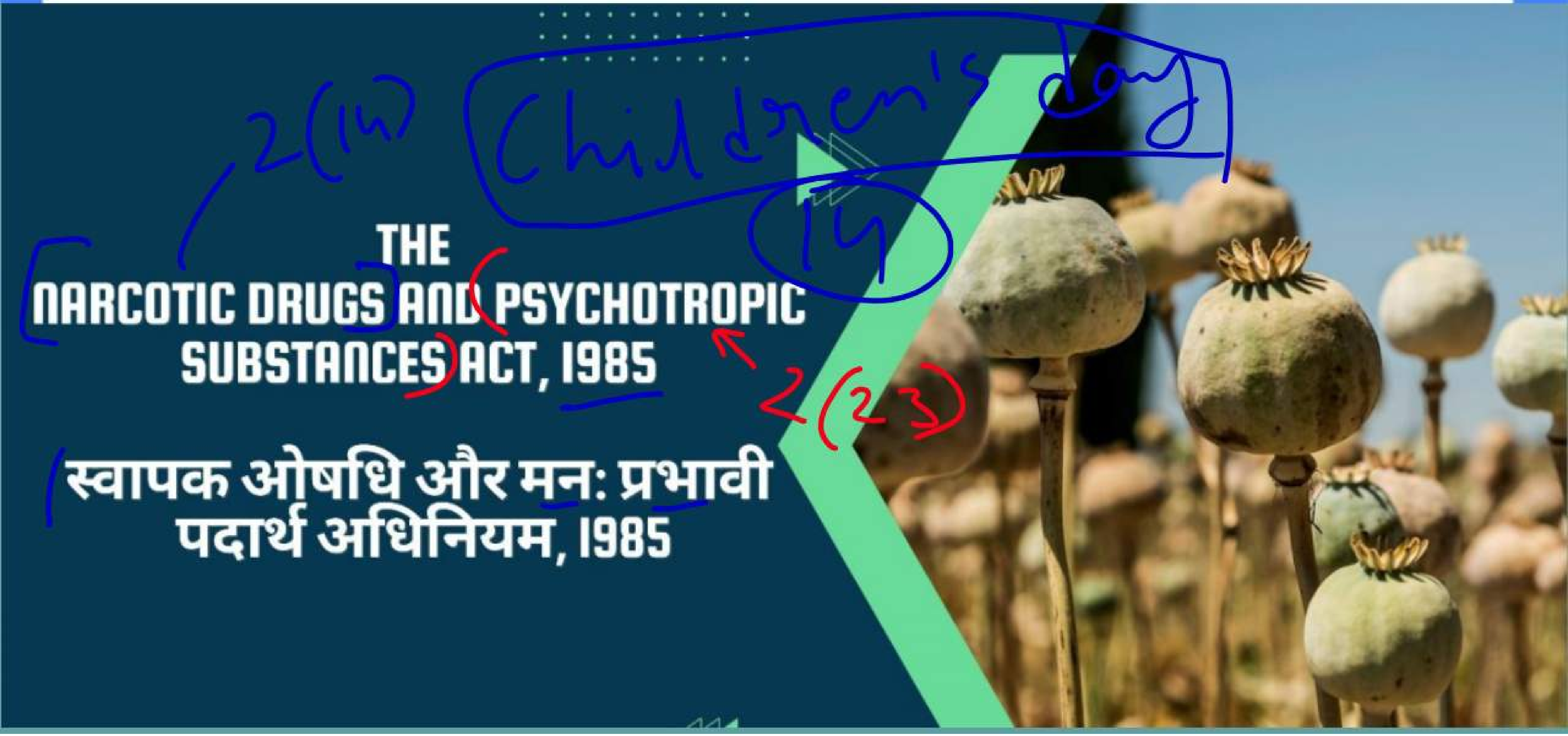

NDPS ACT, 1985

Sec.2(xiv) Narcotic Drug
(स्वापक ओषधि)

1. Coca Leaf – कोका की पत्ती
2. Cannabis – कैनेबिस
3. Opium – अफीम
4. Poppy Straw – पोस्त तृण
5. Manufactured Drug – विनिर्मित ओषधियाँ

NDPS ACT, 1985 2(23)

(*xxiii*) "Psychotropic substance" means any substance, natural or synthetic, or any natural material or any salt or preparation of such substance or material included in the list of psychotropic substances specified in the Schedule;

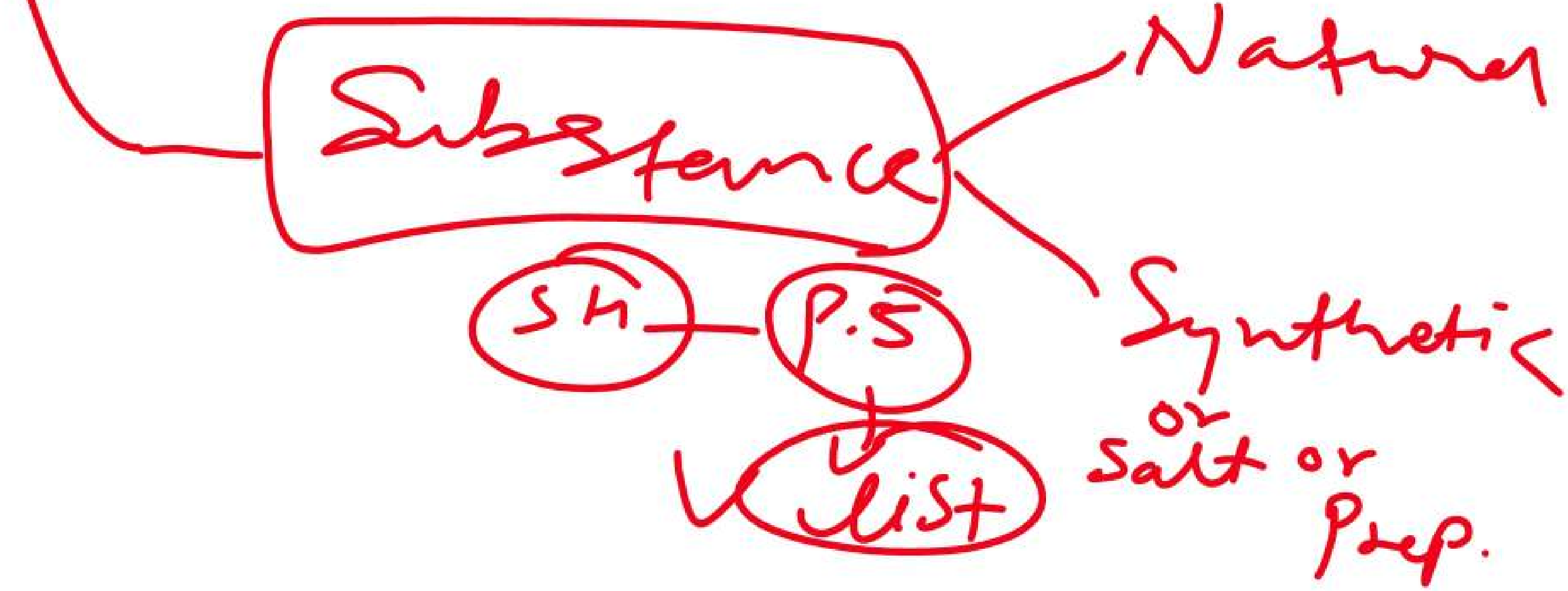

NDPS ACT, 1985

"मन:प्रभावी पदार्थ" से अभिप्रेत है कोई प्राकृतिक या संश्लिष्ट पदार्थ या कोई प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री का कोई लवण जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनः प्रभावी पदार्थों की सूची में सम्मिलित निर्मिति

;

NDPS ACT, 1985

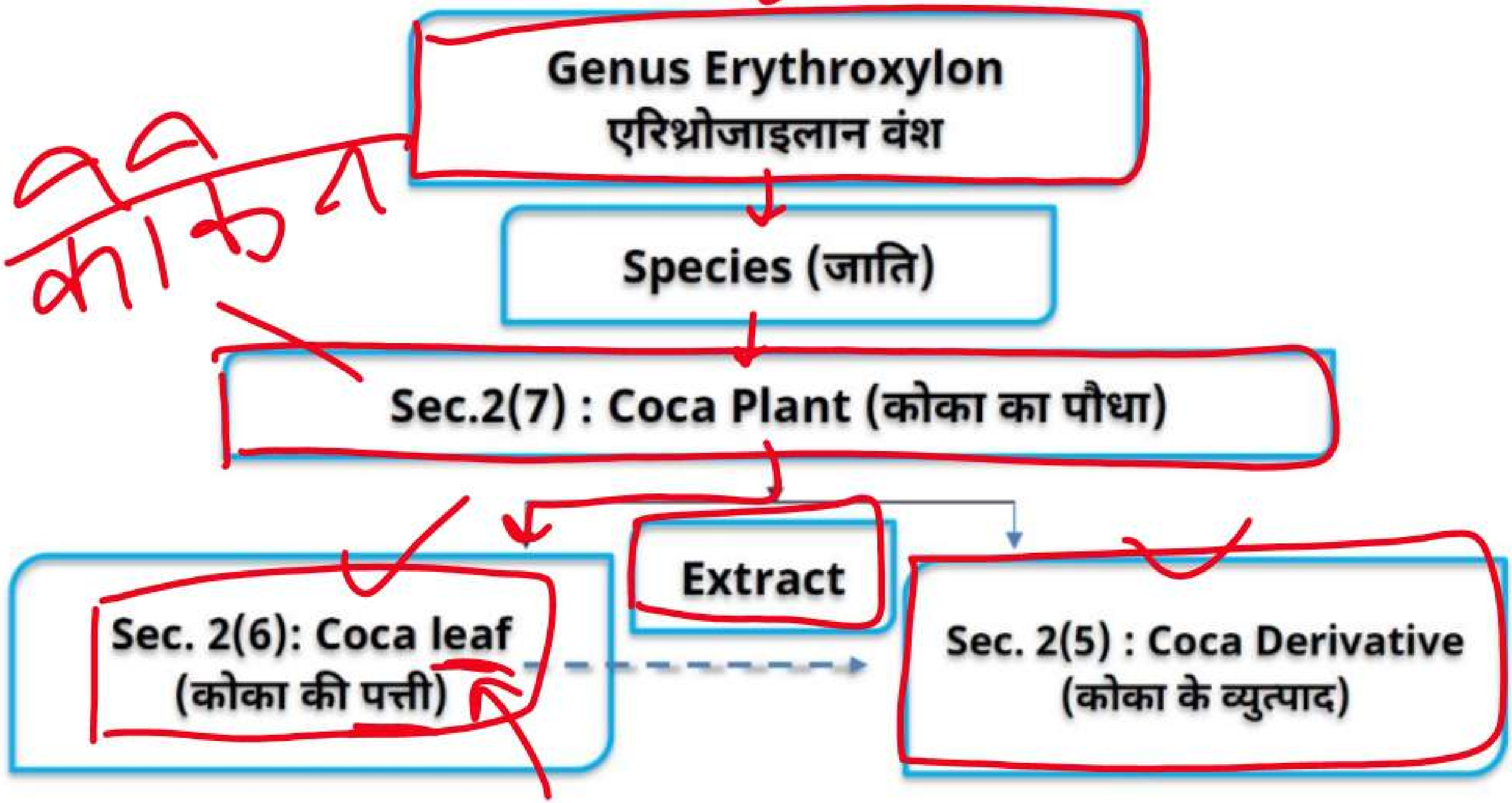

NDPS ACT, 1985

Sec. 2(6) — Cocal leaf

- Leaf (पत्ती)
- Any Mixture (कोई मिश्रण)
  - Not Include
    - Preparation containing upto 0.1% of Cocain

NDPS ACT, 1985

Sec.2(5) Coca Derivative

- (a) Crude cocaine (कच्चा कोकेन)
- (b) Ecgonine & its Derivative (एकगोनिन और इसके व्युत्पाद)
- (c) cocaine
- (d) All preparation (सभी निर्मितियाँ)
  - Containing more than 0.1% of cocaine

NDPS ACT, 1985

(*vii*) "coca plant" means the plant of any species of the genus Erythroxylon;

"कोका का पौधा " से ऐरिथ्रोजाइलान वंश की किसी जाति का पौधा अभिप्रेत है ;

NDPS ACT, 1985

(*a*) crude cocaine, that is, any extract of coca leaf which can be used, directly or indirectly, for the manufacture of cocaine;

कच्चा कोकेन, अर्थात् कोका की पत्ती का कोई सार जिसका कोकेन के विनिर्माण के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः उपयोग किया जा सकता है;

NDPS ACT, 1985

एरिथ्रोजाइलान

NDPS ACT, 1985

(*v*) "coca derivative" means—

"कोका के व्युत्पाद" से अभिप्रेत है-

NDPS ACT, 1985

NDPS ACT, 1985

(*b*) ecgonine and all the derivatives of ecgonine from which it can be recovered;

ऐकगोनिन और ऐकगोनिन के सभी व्युत्पाद, जिनसे उसे प्राप्त किया जा सकता है;

(*c*) cocaine, that is, methyl ester of benzoyl-ecgonine and its salts; and

कोकेन, अर्थात् बेंजायल-ऐकगोनिन का मेथिल एस्टर और उसके लवण ; और

(*d*) all preparations containing more than 0.1 per cent. of cocaine;

सभी निर्मितियां जिनमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कोकेन हो,

NDPS ACT, 1985

(*vi*) "coca leaf" means—

'कोका की पत्ती " से अभिप्रेत है

NDPS ACT, 1985

NDPS ACT, 1985

(*a*) the leaf of the coca plant except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed;

कोका के पौधे की पत्ती, सिवाय उस पत्ती के जिससे सभी ऐकगोनिन, कोकेन और कोई अन्य ऐकगोनिन ऐल्केलाइडनिकाल लिए गए हैं ;

(*b*) any mixture thereof with or without any neutral material, but does not include any preparation containing not more than 0.1 per cent. of cocaine;

उनका कोई मिश्रण चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो, किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसी निर्मिति नहीं है जिसमें 0.1 प्रतिशत से अनधिक कोकेन है;

NDPS ACT, 1985

(*viia*) "commercial quantity", in relation to narcotic drugs and psychotropic substances, means any quantity greater than the quantity specified by the Central Government by notification in the Official Gazette;

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के संबंध में "वाणिज्यिक मात्रा" से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट मात्रा से उच्चतर कोई मात्रा अभिप्रेत है

NDPS ACT, 1985

(*viiib*) "illicit traffic", in relation to narcotic drugs and psychotropic substances, means—

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में, "अवैध व्यापार' से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात:

NDPS ACT, 1985

NDPS ACT, 1985

Illicit Trafficing

(i) cultivating any coca plant or gathering any portion of coca plant;

कोका के पौधे की खेती करना या कोका के पौधे के किसी भाग संग्रह करना ;

(ii) cultivating the opium poppy or any cannabis plant;

अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करना;

NDPS ACT, 1985

(iii) engaging in the production, manufacture, possession, sale, purchase, transportation, warehousing, concealment, use or consumption, import inter-State, export inter-State, import into India, export from India or transhipment, of narcotic drugs or psychotropic substances;

स्वापक ओषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भांडागारण, छिपाव, उपयोग या उपभोग, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण का कार्य करना ;

NDPS ACT, 1985

(*iv*) dealing in any activities in narcotic drugs or psychotropic substances other than those referred to in sub-clauses (*i*) to (*iii*); or

स्वापक ओषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों के उपखंड (i) से उपखंड (iii) तक में निर्दिष्ट क्रियाकलापों, से भिन्न किन्हीं क्रियाकलापों में व्यवहार करना :; या

NDPS ACT, 1985

(*v*) handling or letting out any premises for the carrying on of any of the activities referred to in sub-clauses (*i*) to (*iv*), other than those permitted under this Act, or any rule or order made, or any condition of any licence, term or authorisation issued, thereunder, and includes—

उपखंड (i) से उपखंड (iv) तक में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप के लिए परिसर का प्रबंध करना या उसे किराए पर देना, सिवाय उनके जिन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश, या जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, निबंधन या प्राधिकरण के अधीन अनुज्ञात किया गया है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी

LINKING LAWS

NDPS ACT, 1985

(1) financing, directly or indirectly, any of the aforementioned activities;

पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषण करना ;

IPC
107-120

(2) abetting or conspiring in the furtherance of or in support of doing any of the aforementioned activities; and

पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी के करने को अग्रसर करने में या समर्थन में दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करना; और

120A 120B

NDPS ACT, 1985

(3) harbouring persons engaged in any of the afore-mentioned activities;

पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी में लगे व्यक्तियों को संश्रय देना

IPC → 52-A

2 (9)

(ix) "International Convention" means—

"अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन" से अभिप्रेत है,

NDPS ACT, 1985

(a) the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 adopted by the United Nations Conference at New York in March, 1961;

स्वापक ओषधि एकल कन्वेंशन, 1961, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1961 में न्यूयार्क में अंगीगार किया गया था ;

NDPS ACT, 1985

(*b*) the Protocol, amending the Convention mentioned in sub-clause (*a*), adopted by the United Nations Conference at Geneva in March, 1972;

उपखंड (क) में वर्णित कन्वेंशन का संशोधन करने वाला प्रोटोकाल, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1972 में जेनेवा में अंगीगार किया गया था;

(*c*) the Convention on Psychotropic Substances, 1971 adopted by the United Nations Conference at Vienna in February, 1971; and

मन:प्रभावी पदार्थ कन्वेंशन, 1971, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फरवरी, 1971 में वियना में अंगीगार किया गया था; और

(*d*) any other international convention, or protocol or other instrument amending an international convention, relating to narcotic drugs or

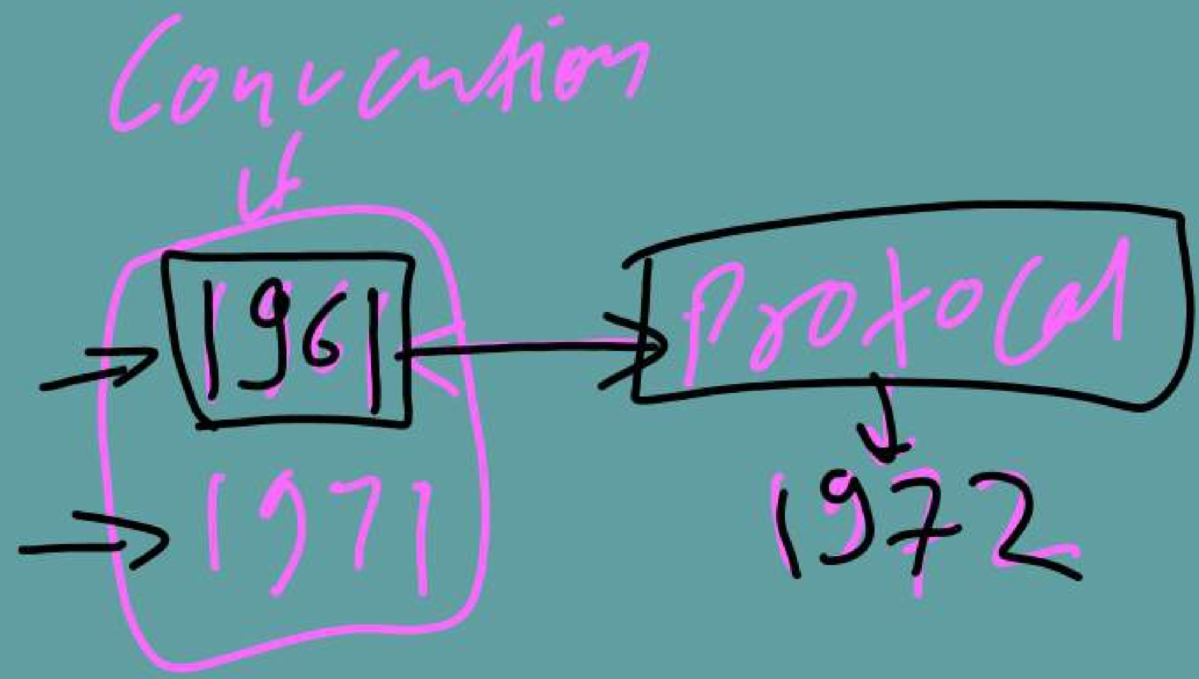
Convention
1961
1971
Protocol
1972

NDPS ACT, 1985

psychotropic substances which may be ratified or acceded to by India after the commencement of this Act;

स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थ से संबंधित किसी अंतरराष्ट्रीय कंवेशन का संशोधन करने वाला कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या प्रोटोकाल या अन्य लिखत जिसका इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् भारत द्वारा अनुसमर्थन या अंगीकार किया जाए;

NDPS ACT, 1985

2(12)

(*xii*) "medicinal cannabis", that is, medicinal hemp, means any extract or tincture of cannabis (hemp);

"ओषधीय कैनेबिस" अर्थात् ओषधीय हैम्प से कैनेबिस (हैम्प) का कोई सार या टिंक्चर अभिप्रेत है;

NDPS ACT, 1985

NDPS ACT, 1985

2(14)

(*xiv*) "narcotic drug" means coca leaf, cannabis (hemp), opium, popy straw and includes all manufactured drugs;

"स्वापक ओषधि" से कोका की पत्ती, कैनेबिस (हैम्प), अफीम, पोस्त तृण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सभी विनिर्मित ओषधियां हैं ;

NDPS ACT, 1985

Opium

अफीम

NDPS ACT, 1985

Papaver Somniferum L.
(पैपेवर सोम्नीफेरम एल)

↓

Species (जाति)

↓

Sec. 2(17):- Opium Poppy (अफीम पोस्त)

↓

Sec. 2(15) | Sec. 2(16) | Sec. 2(18)

NDPS ACT, 1985

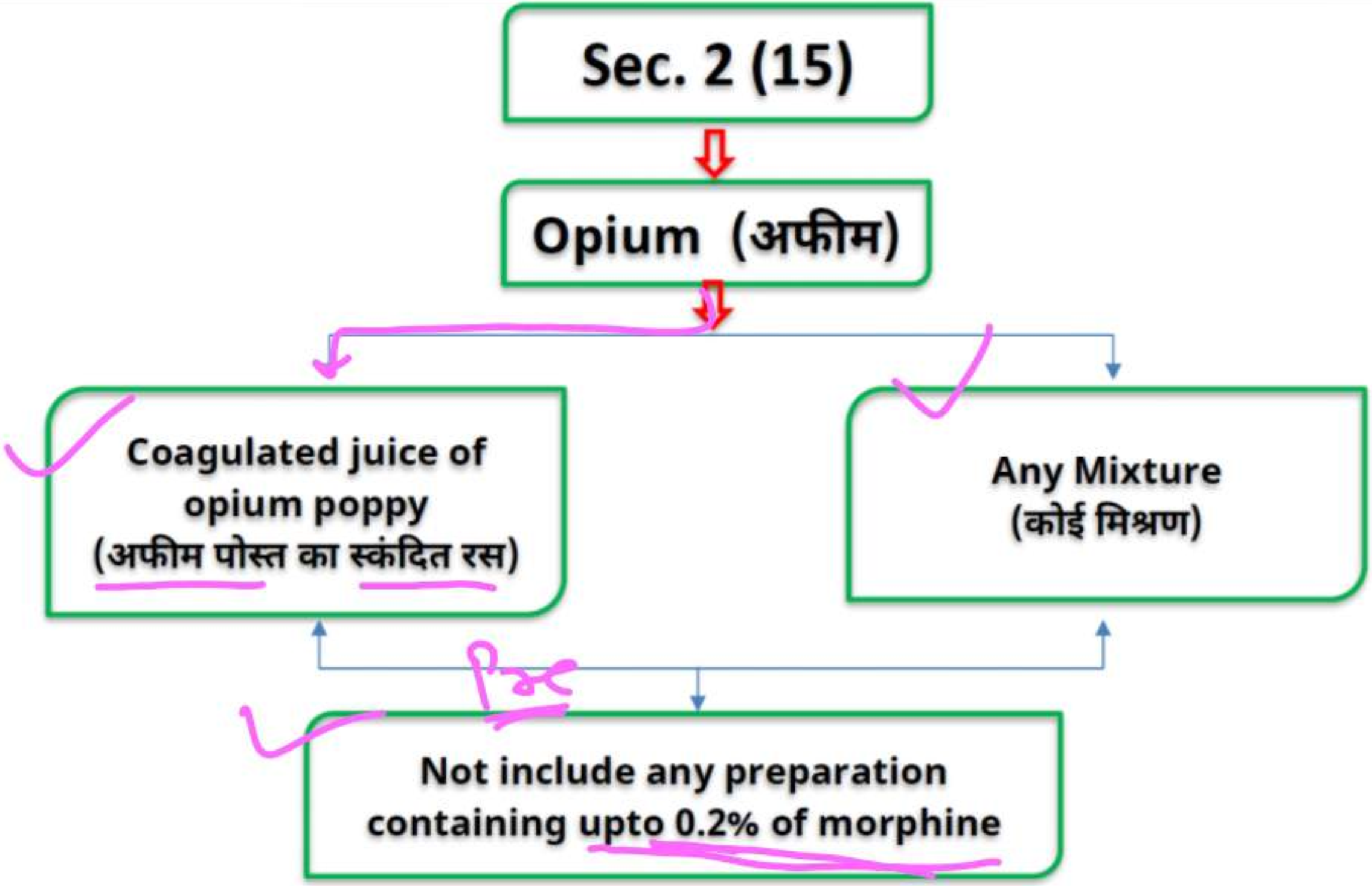

NDPS ACT, 1985

Sec.2(16) अफीम के व्युत्पाद
Opium derivative

Sec.2(18) Poppy Straw (पोस्त तृण)

↓

Sec. 2(19)

↓

Poppy Straw Concentrate

NDPS ACT, 1985

Poppy Straw

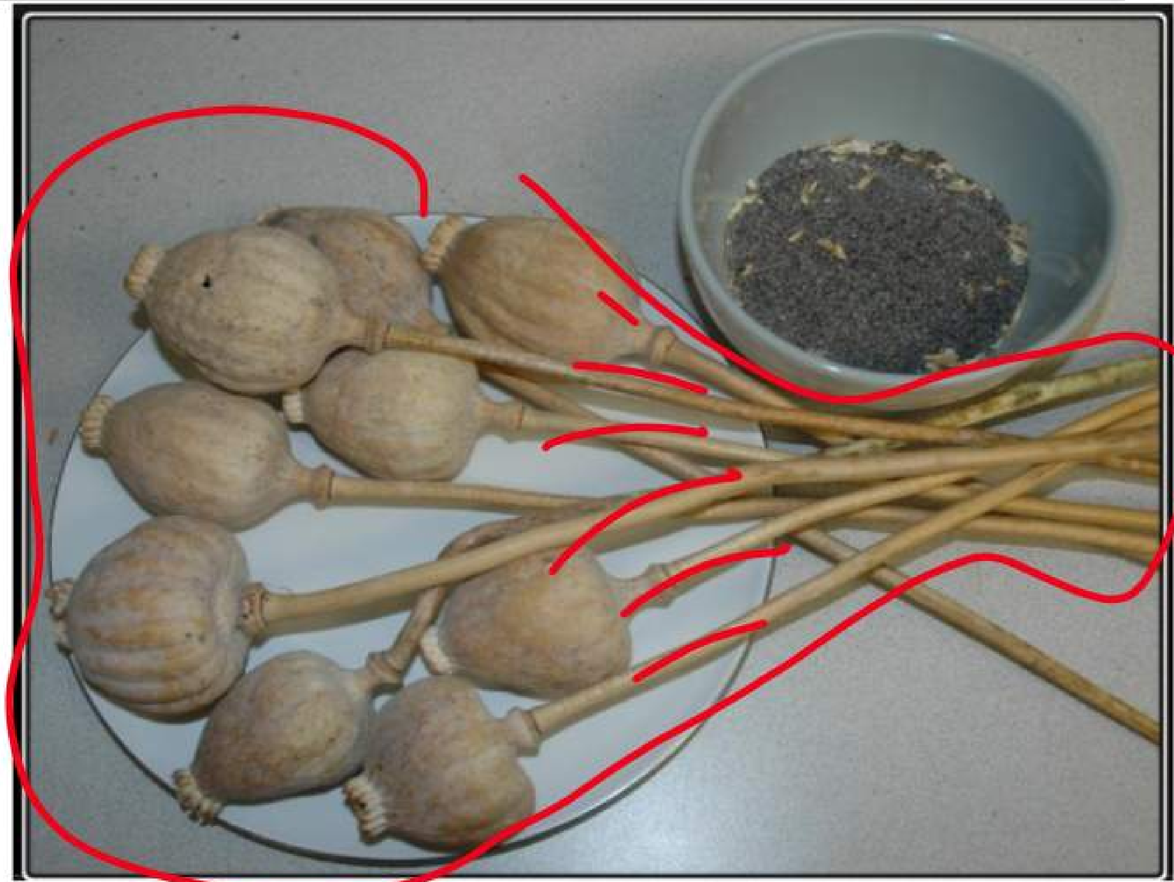

NDPS ACT, 1985

what is opium

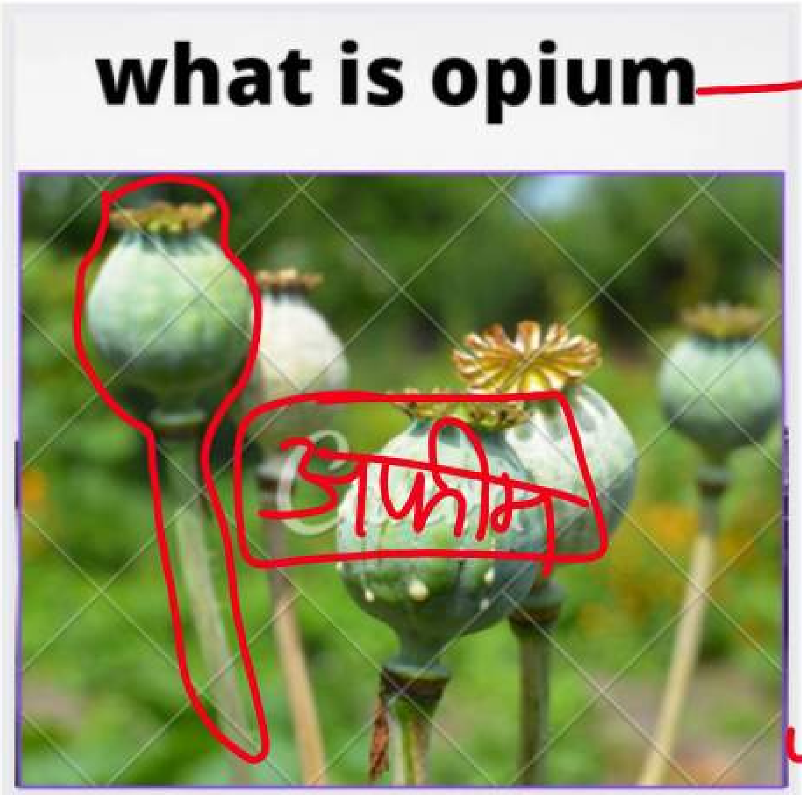

- डोडा-खसखस अफीम के गोले से बनाया जाता है।
- दरअसल यह एक औषधीय पौधा है। अफीम का उपयोग गांवों में औषधि के रूप में भी किया जाता है।
- शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होने पर अफीम की मालिश से आराम मिलता है।
- किसान अक्सर इसका इस्तेमाल कमर दर्द को कम करने के लिए करते हैं।
- अफीम कब्ज का कारण बनती है।
- इसलिए दस्त होने पर अफीम दी जाती है।
- अफीम को ठंडे और ठंडे में गर्म करके दिया जाता है।
- युद्ध के दौरान मलमूत्र को रोकने के लिए अफीम का भी सेवन किया जाता था।

NDPS ACT, 1985

12% Morphine

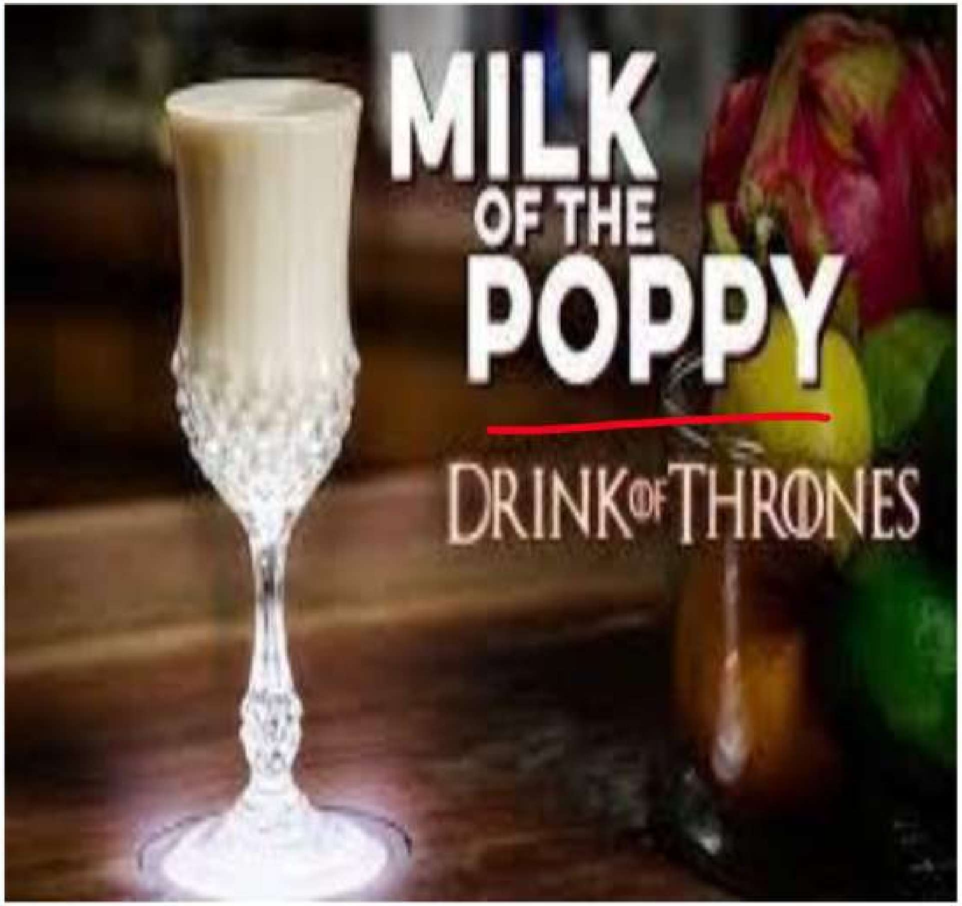

- Opium Scientific name: Lachryma papaveris is a substance made by drying the latex of the poppy plant Papaver somniferum, which causes intoxication.

अफ़ीम (Opium) वैज्ञानिक नाम: lachryma papaveris, अफ़ीम के पौधे पैपेवर सोमनिफेरम के 'दूध' (latex) को सुखा कर बनाया गया पदार्थ है, जिसके सेवन से मादकता आती है।

NDPS ACT, 1985

- Apart from other things, the person who consumes it gets fast sleep. Up to 12% morphine is found in opium, which is processed into a drug called heroin. To extract the milk of opium, an incision is made in its raw, unripe 'fruit'; Its milk starts coming out, which dries out. When this milk dries up and becomes thick, it is called opium. It is flexible.

इसका सेवन करने वाले को अन्य बातों के अलावा तेज नींद आती है। अफ़ीम में १२% तक मार्फीन (morphine) पायी जाती है जिसको प्रसंस्कृत (प्रॉसेस) करके हैरोइन (heroin) नामक मादक द्रब्य (ड्रग) तैयार किया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिये उसके कच्चे, अपक्व 'फल' में एक चीरा लगाया जाता है; इसका दूध निकलने लगता है, जो निकल कर सूख जाता है। यही दूध सूख कर गाढ़ा होने पर अफ़ीम कहलाता है। यह लचिला (sticky) होता है।

NDPS ACT, 1985

Papaver Somniferum

- Opium is dried latex obtained from the seed capsules of the opium poppy Papaver somniferum. Approximately 12 percent of opium is made up of the analgesic alkaloid morphine, which is processed chemically to produce heroin and other synthetic opioids for medicinal use and for the illegal drug trade.

अफीम सूखे लेटेक्स को अफीम पोस्ता पापवेर सोम्निफरम के बीज कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है। लगभग 12 प्रतिशत अफीम एनाल्जेसिक अल्कलॉइड मॉर्फिन से बनी होती है, जिसे औषधीय उपयोग के लिए और अवैध ड्रग व्यापार के लिए हेरोइन और अन्य सिंथेटिक ओपिओइड का उत्पादन करने के लिए रासायनिक रूप से संसाधित किया जाता है।

NDPS ACT, 1985

In India, maximum opium is cultivated in Madhya

NDPS ACT, 1985

Pradesh and the Government of India has provided license for the cultivation of opium in Madhya Pradesh. In which opium can be cultivated in Madhya Pradesh only at the rate of fixed 56 kg per hectare.

भारत में सबसे ज्यादा अफीम की खेती मध्यप्रदेश में की जाती है और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया है. जिसमे फिक्स्ड 56 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ही अफीम की खेती मध्यप्रदेश में की जा सकती है.

NDPS ACT, 1985

'esent, opium is cultivated in a few places in UP,

NDPS ACT, 1985

Rajasthan and Madhya Pradesh. It is cultivated in places like Jhalawar, Bhilwara, Udaipur, Kota, Chittorgarh, Pratapgarh in Rajasthan. Opium is grown in Barabanki in UP. On the other hand, opium is cultivated in places like Neemuch, Mandsaur in Madhya Pradesh.

अभी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ ही जगहों पर अफीम की खेती की जाती है। राजस्थान में झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जैसी जगहों पर इसकी खेती होती है। यूपी में बाराबंकी में अफीम उगाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर जैसी जगहों पर अफीम की खेती की जाती है।

NDPS ACT, 1985

- Opium is used in medicines called Kamini and Barshasha, so the government has banned them. The seller who sells these medicines needs to get a license from the government.

कामिनी और बरशाशा नामक दवाओं में अफीम इस्तेमाल होती है, इसलिए सरकार ने इन्हें प्रतिबंधित किया है। जो विक्रेता ये दवाएं बेचता है, उसे सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी है।

NDPS ACT, 1985

NDPS ACT, 1985

❖ Opium is settled in the rituals of Marwar, it is believed that the fruit of grace

मारवाड़ के रस्मों रिवाज में रची बसी है अफीम, माना जाता है मनुहार का मेवा

NDPS ACT, 1985

Opium is mixed in the rituals of Marwar. These customs are deeply ingrained, especially in the rural sections. It is very surprising that opium is cultivated in abundance in Mewar of Rajasthan and Malwa of Madhya Pradesh, but the practice of its consumption is seen in Marwari areas.

मारवाड़ के रस्मों रिवाज में अफीम घुली है। खासतौर पर ग्रामीण तबकों में ये रिवाज गहराई में रचे बसे हैं। बहुत हैरत की बात है कि राजस्थान के मेवाड़ और मध्य प्रदेश के मालवा में अफीम की खेती बहुतायत से की जाती है, लेकिन इसके सेवन का प्रचलन देखने को मिलता है मारवाड़ी इलाकों में।

NDPS ACT, 1985

Linking Laws

- People had to travel far and wide, but the addiction to opium is to such an extent that you cannot imagine. In some rural areas of Jaisalmer, Barmer and Jodhpur of Marwar, opium is considered to be a fruit of admiration. The dingle corpus has several synonyms for opium. For example, Nag-foam, Kasnag Ra, Kali, Amal (Kuhat), Nagfan, Poppy (Hell), Affin, Kalagar etc. In common parlance it is called Opium, Amal, Alam etc.

NDPS ACT, 1985

मारवाड़ यानी वो इलाका जहां एक समय पानी के लिए लोगों को कोसों दूर जाना पडता था, पर अफीम की दीवानगी इस हद तक है कि आप कल्पना इलाकों में तो अफीम मनुहार का मेवा माना जाता है। अफीम के लिए डिंगल कोष में कई पर्यायवाची हैं। जैसे— नाग-झाग, कसनाग रा, काली, अमल (कुहात), नागफैण, पोस्त (नरक), अफीण, कालागर आदि। आमभाषा में इसे अफीम, अमल, अलम आदि कहा जाता है।

NDPS ACT, 1985

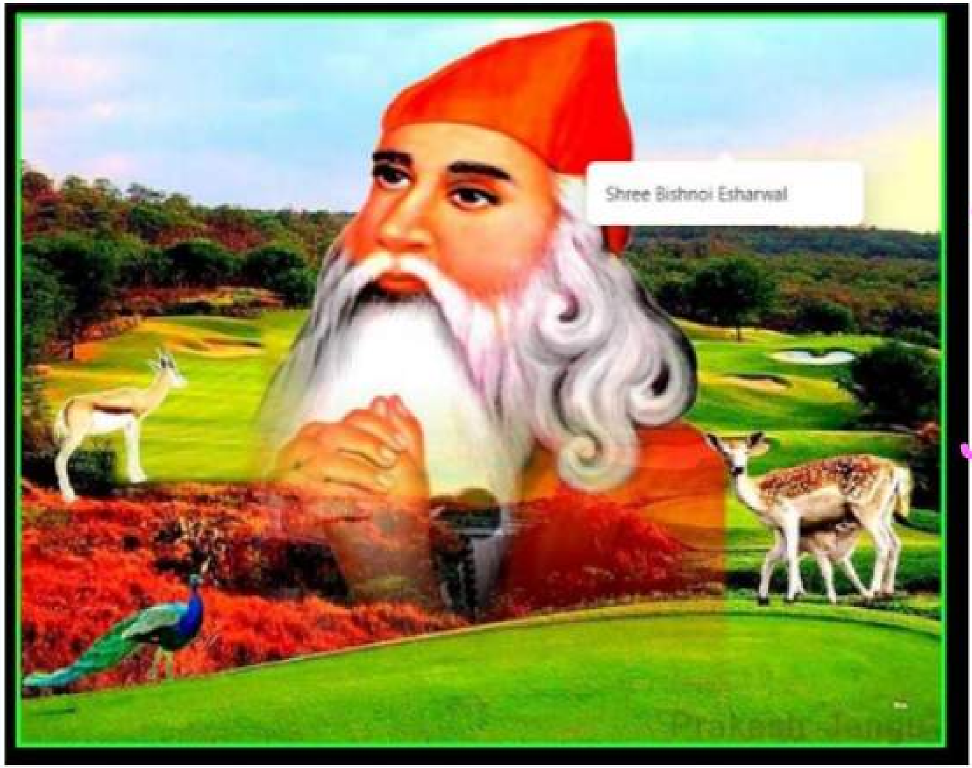

Jambhoji saint had a lot of influence in the society of Marwari section.

मारवाड़ी तबके के समाज में जाम्भेजी संत का खूब प्रभाव था। उनसे प्रेरित होकर राठौड़ों (राजपूत) ने मांस और शराब खाना पीना छोड़ दिया।

Inspired by him, the Rathores (Rajputs) gave up eating meat and drinking alcohol.

शराब की जगह अफीम ने ले ली और एक बार जो इसका सेवन शुरू हुआ, तो कभी थमा ही नहीं।

NDPS ACT, 1985

Alcohol was replaced by opium and once it was started, it never stopped. Be it a marriage, be it engagement, bereavement, meeting-separation, acquiescence, increasing rapprochement or just ending a quarrel under mutual agreement...

कोई शादी हो, सगाई हो, शोक हो, मिलना—बिछड़ना हो, मान- मनुहार करनी हो, मेलजोल बढ़ाना हो या आपसी समझौते के तहत झगडा ही खत्म करना हो... अफीम की मनुहार बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता।

शादी

Death.

NDPS ACT, 1985

No work is accomplished without opium's gratification. Historical men are remembered while taking opium, which is called "Rang Dena".

अफीम लेते समय ऐतिहासिक पुरुषों को याद किया जाता है, जिसे "रंग देना' कहते हैं।

NDPS ACT, 1985

In this they paint colors from Brahma to kings, Chaudharis for their contribution. Now the villages of the area - in the blood of the people of Dhani Dhani Opium is. Although opium is a medicinal plant, it is forbidden to grow opium without government permission.

इसमें ये लोग ब्रम्हा से लेकर राजाओं, चौधरियों को उनके योगदान के लिए रंग देते हैं। अब क्षेत्र के गांव गांव— ढाणी ढाणी के लोगों के खून में अफीम है। हालांकि अफीम औषधीय पौधा है, लेकिन बिना सरकारी इजाजत अफीम उगाने की मनाही है।

NDPS ACT, 1985

There is grace in Ryan

- Riyan means Get Together.... in this the people of the village are involved. Manganiyars sit.
  रियान यानी गेट टूगेदर.... इसमें गांव के लोग शामिल होते हैं. मंगनियार बैठते हैं।

- On the one hand, while the opium dissolves in the veins of the body, on the other hand, the Manganiyar dissolves the juice of his melodious voice in the fizz.
  एक तरफ जहां अफीम शरीर की नसों में घुल जाती है, वहीं दूसरी तरफ मंगनियार अपनी सुरीली आवाज के रस को फिजूल में घोल देता है।

- A man pleads with opium in Riyan. Amalgam is given to those who take the practice by filling the palm thrice. It is called Teda.
  एक आदमी रियान में अफीम की याचना करता है। अमलगम उन लोगों को दिया जाता है जो तीन बार हथेली भरकर अभ्यास करते हैं। इसे टेडा कहा जाता है।

NDPS ACT, 1985

- For this, a small talai is made by joining the fingers and thumb of the palm. Such a palm is called Khoba.
  इसके लिए हथेली की उंगलियों और अंगूठे को मिलाकर एक छोटी तलाई बनाई जाती है। ऐसी हथेली को खोबा कहते हैं।

- After taking opium, opium starts giving color to the poetic language. While singing the color, he sprinkles the opium stuffed in his palm with his ring finger.
  अफीम लेने के बाद अफीम काव्यभाषा को रंग देने लगती है। रंग गाते हुए वह अपनी अनामिका से हथेली में भरी अफीम छिड़कते हैं।

- It is a tradition that until the opium is exhausted, the palm has to be kept facing the front without moving it.
  यह एक परंपरा है कि जब तक अफीम समाप्त नहीं हो जाती, तब तक हथेली को बिना हिलाए सामने की ओर रखना होता है।

NDPS ACT, 1985

China busts 35 restaurants for seasoning food with opium poppy

ये हैं अफीम खाने के तरीके

- अफीम को खाने के दो तरीके हैं।
- एक उसे सुखा कर, दूसरा गलाकर।
- कुछ लोग सीधा अफीम का दूध ही पी लेते हैं, जो खतरनाक है।
- अफीम को गला कर खाने का तरीका ज्यादा प्रसिद्ध है।
- अफीम पिलाते समय तीखी नोक-झोंक भी हो जाती है।
- किसी को बिना नोक-झोंक नशा ही नहीं चढ़ता।
- अफीम काफी कड़वी होती है।
- इसलिए रियाण खत्म होने पर मिसली, बताशे जैसी मीठी चीजें बांटी जाती है।
  get together
- इसे खारभंजणा कहते हैं।
- आर्थिक स्थिति के अनुसार इसे बांटा जाता है।
- ज्यादा खारभंजणा देने वालों का मान बढ़ता है।
- खारभंजणा नाई बांटता है, जिसके बदले उसे नेग दिया जाता है।

LINKING LAWS

NDPS ACT, 1985

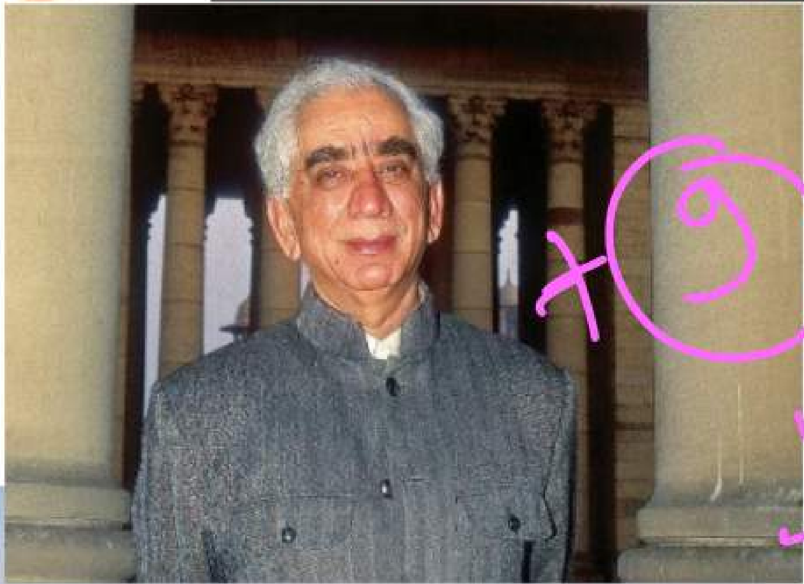

Ryan also created a stir in politics

रियाण ने राजनीति में भी मचाई हलचल

⇒ पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल भी रियाण को लेकर विवादों में आ गए थे।

⇒ जसवंत सिंह और नौ दूसरे नेताओं के खिलाफ सामाजिक समारोह में अफीम परोसने का आरोप लगा।

⇒ स्थानीय अदालत में शिकायत भी दर्ज कराई गई। Complaint

⇒ आपको बता दें कि अपने गांव जसोल में जसवंत सिंह ने एक पारिवारिक समारोह आयोजित किया था।

⇒ इसमें कई कैबिनेट मिनिस्टर और पार्टी नेता शामिल हुए थे।

⇒ आरोप था कि मेहमानों को पानी में अफीम मिला कर दी गई थी। हालांकि जसवंत सिंह ने ये कह कर आरोपों का खंडन किया कि वो अफीम नहीं केसर थी।

NDPS ACT, 1985

Sec- 3. **Power to add to or omit from the list of psychotropic substances** (मनः प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या उससे लोप करने की शक्ति)—The Central Government

by notification in the Official Gazette, add to, or, as the case may be, omit from, the list of psychotropic substances specified in the Schedule

Add omit

C.G. → O.G. → Not.
↓
Schedule
↓
list → P.S.

NDPS ACT, 1985

CHAPTER II

AUTHORITIES AND OFFICERS [4-7]

प्राधिकरण और अधिकारी

Sec. 4. **Central Government to take measures for preventing and combating abuse of and illicit traffic in narcotic drugs, etc**

स्वापक ओषधियों आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्युपायों का किया जाना –

NDPS ACT, 1985

NDPS ACT, 1985

Measures

Measures (अध्युपाय)

(1) Coordination of acting (कार्यवाहियों का समन्वय)
(2) Obligation (बाध्यता)
(3) Assistance (सहायता)
(4) Identification treatment, Rehab
(5) Availability of N.D. – Medical

NDPS ACT, 1985 Measures

(a) coordination of actions by various officers, State Governments and other authorities—

विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा -

(i) under this Act, or

इस अधिनियम के अधीन, या

(ii) under any other law for the time being in force in connection with the enforcement of the provisions of this Act;

इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में तत्सयम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, कार्रवाइयों का समन्वय;

(b) obligations under the International Conventions;

अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के अधीन बाध्यताएं

NDPS ACT, 1985

(c) assistance to the concerned authorities in foreign countries and concerned international organisations with a view to facilitating coordination and universal action for prevention and suppression of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances;

स्वापक ओषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के निवारण और दमन के लिए समन्वय और सर्वव्यापी कार्रवाई को सुकर बनाने की दृष्टि से विदेशों में संबंधित प्राधिकरणों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता ;

(d) identification, treatment, education, after care, rehabilitation and social re-integration of addicts;

व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देख-रेख, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना;

NDPS ACT, 1985

N.D.P.S

(*da*) availability of narcotic drugs and psychotropic substances for medical and scientific use;

चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की उपलब्धता;

(*e*) such other matters

NDPS ACT, 1985

MOST IMPORTANT

Sec.5 : Officers of Central Govt.
(केन्द्रीय सरकार के अधिकारी)

↓

Appointed by C.G.

N.C.

1. Narcotic Commissioner (स्वापक आयुक्त) ⇒ Power & Function

2. Other Officers (अन्य अधिकारी)

NDPS ACT, 1985

Powers & Frunctions
शक्तियाँ और कृत्य

Superintendence (अधीक्षण) of

- **(1) Cultivation of Opium Poppy**
  (अफीम पोस्त की खेती)
- **(2) Production of opium**
  (अफीम का उत्पादन)
- **(3) Other power of functions**

NDPS ACT, 1985

Sec.6 : NDPS Consultative Committee
(NDPS परामर्श समिति)

Constitute (गठन) → CG

An advisory committee to advice C.G. on. Administration matters
(सलाहकार समिति केन्द्रीय सरकार को प्रशासन के विषयों के विषयों पर सलाह देना)

Appointed by C.G.

- Chairman (अध्यक्ष)
- Other Members (अन्य सदस्य) — Max. 20

* Meetings – When Required by C.G. (जब केन्द्र सरकार अपेक्षा करें)

Q.1.

Sub-Committee (उप-समिति)

↓

Constitute (गठन)

↓

C.G. — Committee

(Committee → function → Sub-Comm
efficient discharge
Constitute
कर सकती है

केन्द्र सरकार

Sec. 6

C.G.

1. Terms of Authority (पदावधि)
2. Allowances (भत्ते)
3. Condition (शर्तें)
4. Restriction (रोक)
5. Manner (तरीके) of filling Casual Vacancy

Shall be prescribed by C.G.

Q.

Committee

↓

Max. No. of Members

↓

$1 + 20 = 21$ ✓

NDPS ACT, 1985

7. Officers of State Government-

राज्य सरकार

↓

Appointed by

↓

S.G

NDPS ACT, 1985

CHAPTER IIA

NATIONAL FUND FOR CONTROL OF DRUG ABUSE

ओषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि

7A. National Fund for Control of Drug Abuse—(*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Fund to be called the National Fund for Control of Drug Abuse (hereafter in this Chapter referred to as the Fund) and there shall be credited thereto—

ओषधि के दुरुपयोग के नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय निधि - (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी जो राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निधि कहा गया है) कहलाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा -

NDPS ACT, 1985

(a) an amount which the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, provide;

वह रकम जो केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात् उपलब्ध कराए;

(b) the sale proceeds of any property forfeited under Chapter VA;

अध्याय 5क के अधीन समपहृत किसी सम्पत्ति के विक्रय आगम;

(c) any grants that may be made by any person or institution;

ऐसे कोई अनुदान जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाएं;

(d) any income from investment of the amounts credited to the Fund under the aforesaid provisions.

पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन निधि में जमा की गई रकम के विनिधान से कोई आय ।

Linking Laws

NDPS ACT, 1985

(2) The Fund shall be applied by the Central Government to meet the expenditure incurred in connection with the measures taken for—

निधि का उपयोजन केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए किए गए अध्युपायों के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा, -

(*a*) combating illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or controlled substances;

स्वापक ओषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम करना;

(*b*) controlling the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances;

स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग का नियंत्रण करना;

NDPS ACT, 1985

(c) identifying, treating, rehabilitating addicts;
व्यसनियों की पहचान करना, उनका उपचार करना, पुनर्वास करना;

(d) preventing drug abuse;
ओषधि के दुरुपयोग का निवारण करना;

(e) educating public against drug abuse;
ओषधि के दुरुपयोग के विरुद्ध जनता को शिक्षित करना; और

(f) supplying drugs to addicts where such supply is a medical necessity.
व्यसनियों को ओषधि प्रदाय करना जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सीय आवश्यकता है।

NDPS ACT, 1985

(3) The Central Government may constitute a Governing Body as it thinks fit to advise that Government and to sanction money out of the said Fund subject to the limit notified by the Central Government in the Official Gazette.

केन्द्रीय सरकार, उस सरकार को सलाह देने के लिए और केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित सीमा के अधीन रहते हुए उक्त निधि से धन निकालने की मंजूरी देने के लिए एक ऐसे शासी निकाय का, जैसा वह ठीक समझे, गठन कर सकेगी ।

(4) The Governing Body shall consist of a Chairman (not below the rank of an Additional Secretary to the Central Government) and such other members not exceeding six as the Central Government may appoint.

शासी निकाय में एक अध्यक्ष (जो केन्द्रीय सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे कां नहीं होगा) और छह से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे ।

1 + 6

(5) The Governing Body shall have the power to regulate its own procedure.
शासी निकाय को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी ।

NDPS ACT, 1985

Sec. **7B. Annual report of activities financed under the Fund**—The Central Government shall, as soon as may be, after the end of each financial year, cause to be published in the Official Gazette, a report giving an account of the activities financed under section 7A during the financial year, together with a statement of accounts.

निधि के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट– केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राजपत्र में, एक रिपोर्ट प्रकाशित करवाएगी जिसमें लेखाओं के विवरण सहित, वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 7क के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा।

file = Annual Report + Statement of A/c

7A fund

Small Qty

⇓

Commercial Qty

Schedule

C.G. → Not. Specified limit

→ O.G.

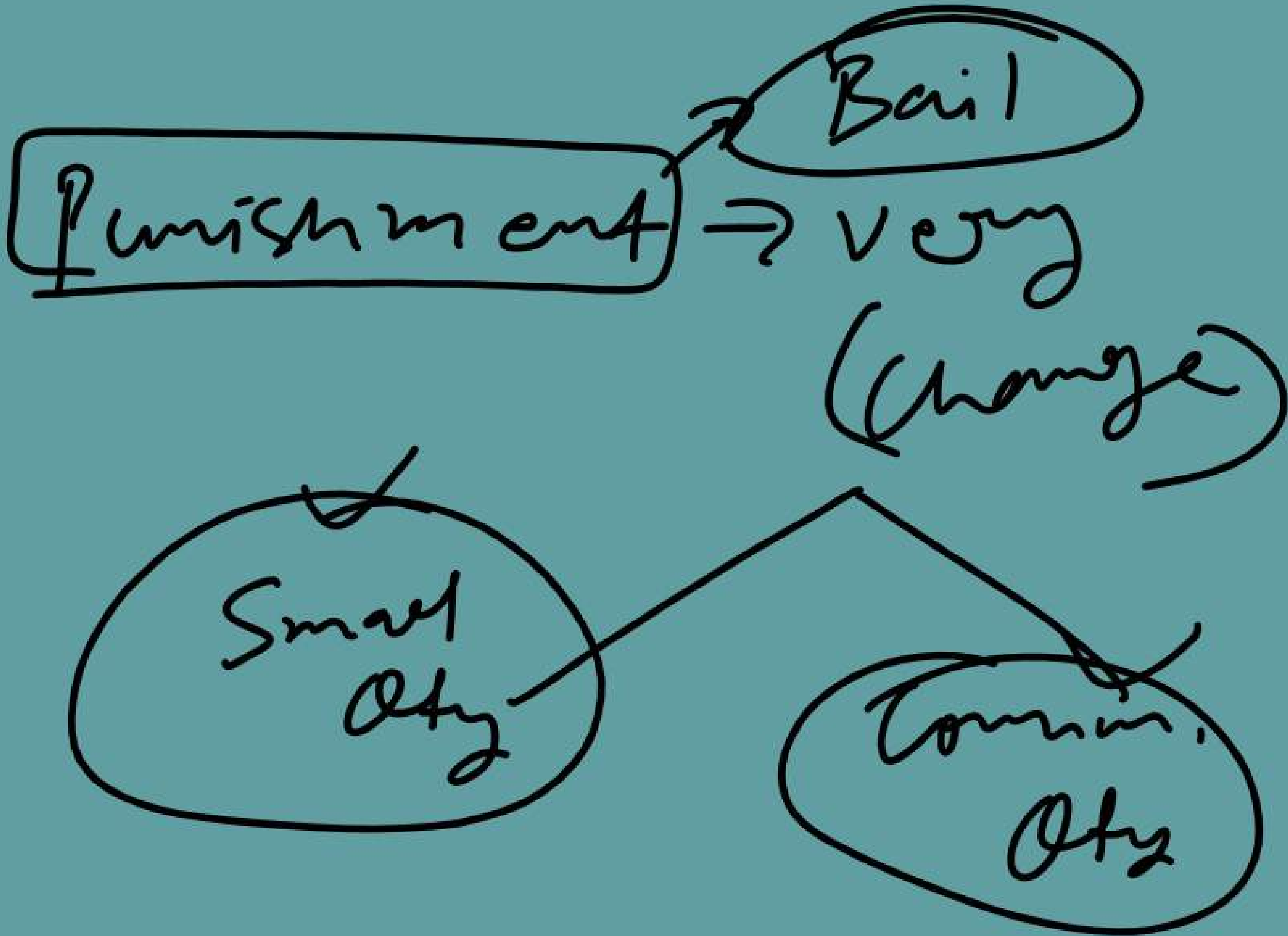

Punishment
Bail
very
(change)
Small Qty
Comm. Qty

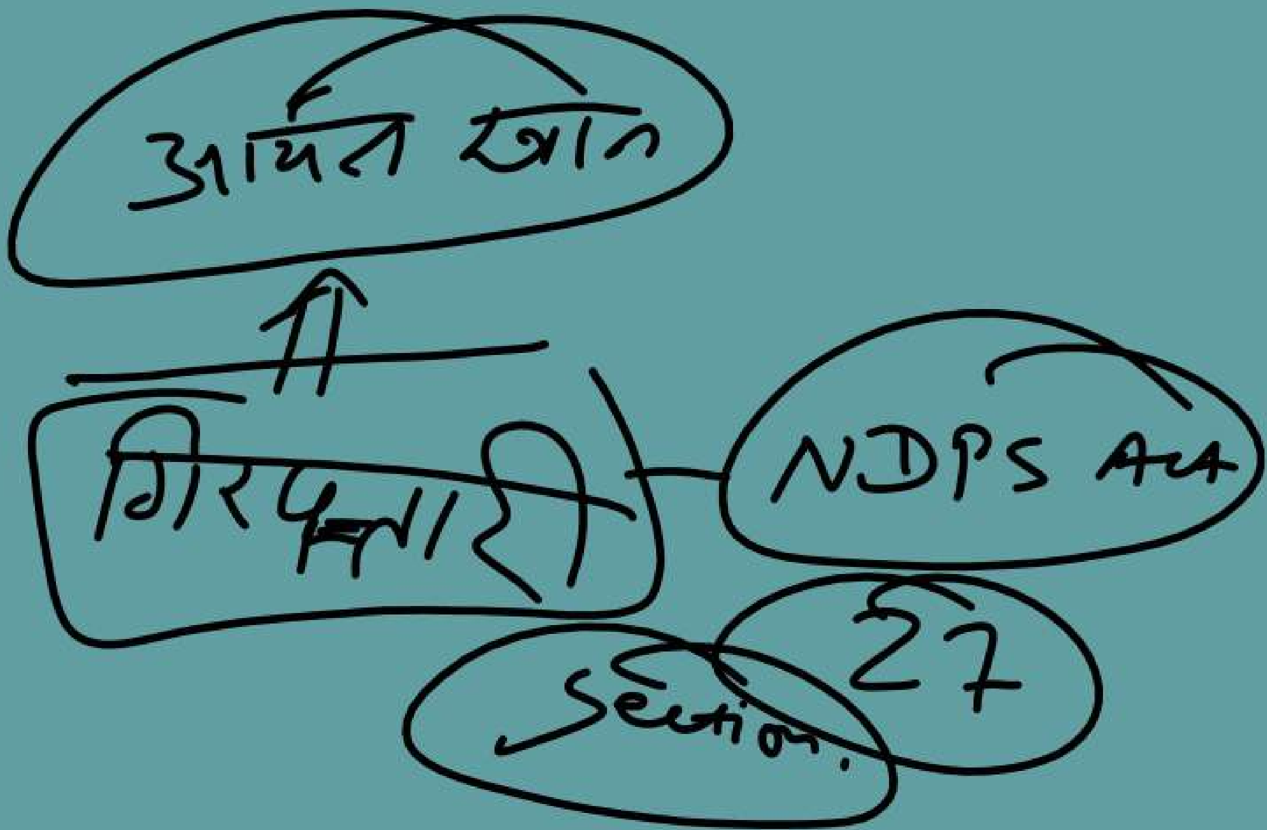
आर्थिक लाभ
गिरफ्तारी
NDPS Act
Section
27

Linking Laws Anoop Sir.

MCQ.